फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

राणसिंह वगै.
बनाम
विमला वगै.

किस्म मुकदमा 223 आर टी एक्ट न. 130 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.2024	मुख्यालय बाड़मेर पर राजस्व अपील प्राधिकारी बाडमेर का पद रिक्त होने से द्वितीय लिंक अधिकारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपर के समक्ष बाद जांच होकर पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व मूल वाद संख्या 01/2023 अनवान राणसिंह वगैरा बनाम विमला देवी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 26.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलांटस के अधिवक्ता अपील पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि मातहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश तकनीकी बिंदुओं पर पारित करते हुए मूल वाद को खारिज किया गया। न्यायहित में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपील एडमिशन पर स्वीकार करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2024 को खारिज करते हुए प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	